

कार्यालय,

राजिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश (सखनऊ)

संख्या- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/10091

सखनऊ दिनांक- 31/10/2022

-कार्यालय नाम-

अज्ञित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमैली कउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन पत्रान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 31/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ वाद्यवक्रता प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अज्ञित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 2787-MEENU COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तरा प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैय करीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, टी स्क्रीय फर्मीली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी स्क्रीय वाद्यवक्रता (टी स्क्रीय फर्मीली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पत्रेक छात्रछात्र से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त एक छात्रछात्री से शुल्क के अभाव में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होवे, और लक्ष्यकार करवैशदी किया जाना आवश्यक होवे। कौन निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु कौन का पुनर्निर्धारण किया जावे है, तो कौन की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार शिक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तरा प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियम/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जावे है तो इस संबंध में समस्त अलायटिव संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा शिक्षण उत्तरा प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उत्पन्न वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अपील/संबंधी आदेश निर्गत किये जावे है तो समस्त प्रतिपुति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तरा प्रदेश सखनऊ द्वारा पत्रेक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित कउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
- ✓ उत्तरा प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुक्ति भूमि, स्टाफ, सत्र-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाले शुल्क, छात्रछात्र शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातसला उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अपन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वाद्यवक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था के अधीन स्थानीय शिक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-संज्ञा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पावे जावे है तो संबंध की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(ए०प्र०/आ०/सखनऊ)

राजिव

पु०प्र०- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/10092-10140

दिनांक- 31/10/2022

प्रतिरिक्ति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MEENU COLLEGE OF PHARMACY

(ए०प्र०/आ०/सखनऊ)

राजिव

कार्यलय

शुद्धि, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: प्राविधपरिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यलय जार:

अधिसूचित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमैसी कर्जमिनस और इण्डियन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आर्देडि नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं वे संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटी वर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक सौ प्रयोग के अनुक्रम में विभिन्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित सत्रों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 2787-MEENU COLLEGE OF PHARMACY VIL-MAHUPUR PO-MADARA NEAR CAMPUS OF SRI DIAMOND DEGREE COLLEGE HARDOI-241001

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आर्देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निष्ठापना समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परमैसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परमैसी पाठ्यक्रम के अनिवार्य) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समत-समय पर क्षमता द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामग्रीय प्रकृति होते और सततनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निष्ठापना समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की सर्वोत्तम दो लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उपरो) प्राविधिक शिक्षा समितिया तथा उप समितिया, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सौदों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समत-समय पर निर्गत सामग्रीय के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि(विनियमों/अतिविनियमों/शरतसौदों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3040, समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद, 3040 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3040 द्वारा बनाये गये नियमों विनियमों, आर्देशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विस्तार हेतु परमैसी पाठ्यक्रम की संख्या यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समतल उल्लाटापित्य संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही का लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात टाया किया जाना है तथा टाया बात का संबंध में न। न्यायपालक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समतल प्रतिपुति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विस्तार हेतु परमैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु कर्जमिनसिग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0आई0 में अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्ही प्रवेश की (कर्जमिनसिग के सतपथ से अथवा संस्था स्तर पर लोष प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आक्षेप नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समतल सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किए जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपरोक्त बतलवण उपलब्ध बनाने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समतल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो वे कि संस्था में परसर्वित्य सहायित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करावे लये अभिलेख, भूमि-भजन, फनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलगत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, मकान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मासकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सत्रों का अनुपालन न किये जाने प्रथम सत्रों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

शुद्धि

ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/संख्या/2021/3538-4809

परिनिधि

दिनांक: 09/08/2021

प्रधानकार्यालय: MEENU COLLEGE OF PHARMACY VIL-MAHUPUR PO-MADARA NEAR CAMPUS OF SRI DIAMOND DEGREE COLLEGE HARDOI-241001


(सुनील कुमार सोनकर)

शुद्धि